

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 133वीं बैठक दिनांक 23.09.2008-में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण।

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	133.1	कार्यकारी समिति की 132 वीं बैठक दिनांक 29.08.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।	
2	133.2	जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की सामुहिक ग्रेज्युटी की बढ़ी हुई राशि को भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की सामुहिक ग्रेज्युटी की बढ़ी हुई राशि को भारतीय जीवन बीमा निगम को बढ़े हुये दायित्व की राशि रुपये 1,45,98,025/- एवं भविष्य में बढ़ने वाली दायित्व की राशि के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उप. निदेशक (व्यय एवं बजट)
3	133.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 929, 930, 931, 1102, 1109 से 1118, 1122, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1131/2836, 1131/2837, 1129/2838, 1129/2839, 1129/2840, 1129/2841, 1129/2842, 930/2894 कुल रकबा 6.961 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 300 फीट चौड़ी सड़क में निहित होने वाली 2125.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लांटेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 3000 वर्गमीटर भूमि कम करने के पश्चात् शेष 46865 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 929, 930, 931, 1102, 1109 से 1118, 1122, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1131/2836, 1131/2837, 1129/2838, 1129/2839, 1129/2840, 1129/2841, 1129/2842, 930/2894 कुल रकबा 6.961 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 300 फीट चौड़ी सड़क में निहित होने वाली 2125.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लांटेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 3000 वर्गमीटर भूमि कम करने के पश्चात् शेष 46865 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
4	133.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1141 से 1154, 1137/2997 कुल किता 15 कुल रकबा 4.79 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमति अनिता कोठारी एवं श्री नवरतन कोठारी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1141 से 1154, 1137/2997 कुल किता 15 कुल रकबा 4.79 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 300 फीट चौड़ी सड़क में निहित होने वाली 495.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लांटेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 540 वर्गमीटर भूमि कम करने के पश्चात् शेष 46865 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
5	133.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 923, 924, 925, 926, 927, 928, 1141/2693 कुल किता 7 कुल रकबा 4.09 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री प्रकाश चन्द कोठारी, शीला कोठारी एवं शीला कोठारी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 923, 924, 925, 926, 927, 928, 1141/2693 कुल किता 7 कुल रकबा 4.09 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
6	133.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3018/1503, 1503 कुल किता 2 कुल रकबा 0.225 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग आवासीय एवं मिश्रित से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमति धन्वी देवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3018/1503, 1503 कुल किता 2 कुल रकबा 0.225 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग आवासीय एवं मिश्रित से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्पर्क सड़क का उपायुक्त द्वारा मोका देखकर प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
7	133.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाऊसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 82 क्षेत्रफल 1012 वर्गगज का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमति ऊषा मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाऊसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 82 क्षेत्रफल 1012 वर्गगज का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। अगर भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण हो तो उसे ध्वस्त करने के पश्चात् ही धारा 25(1) की कार्यवाही की जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-1

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
8	133.8	पार्थ नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ए-290 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पार्थ नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ए-290 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया।	जोन-11	
9	133.9	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 377 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 377 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राशि दो वर्ष से अधिक की देरी से जमा होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार को बिजवाया जावे।	जोन-8	
10	133.10	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 101 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 101 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राशि दो वर्ष से अधिक की देरी से जमा होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार को बिजवाया जावे।	जोन-8	
11	133.11	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 526 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 526 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राशि दो वर्ष से अधिक की देरी से जमा होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार को बिजवाया जावे।	जोन-8	
12	133.12	श्री मोहित चौधरी, सैक्टर अभियन्ता के हृदय रोग के इलाज हेतु एस्कोर्ट अस्पताल, नई दिल्ली में कराये गये इलाज के पुनर्भरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री मोहित चौधरी, सैक्टर अभियन्ता के हृदय रोग के इलाज हेतु एस्कोर्ट अस्पताल, नई दिल्ली में कराये गये इलाज में व्यय हुई राशि रुपये 3.62 लाख में से नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
13	133.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीखुर्द सांगानेर के खसरा नं 717 किता 1 रकबा 2.24 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दहमीखुर्द सांगानेर के खसरा नं 717 किता 1 रकबा 2.24 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
14	133.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चक गेटोर तहसील सांगानेर में जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना नन्दपुरी बी (अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति) के भूखण्ड संख्या 100 से 105 क्षेत्रफल 1470.89 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। (श्री महेन्द्र कुमार बैठिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चक गेटोर तहसील सांगानेर में जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना नन्दपुरी बी (अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति) के भूखण्ड संख्या 100 से 105 क्षेत्रफल 1470.89 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। अगर भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण हो तो उसे ध्वस्त करने के पश्चात् ही धारा 25(1) की कार्यवाही की जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
15	133.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महल तहसील सांगानेर के खसरा नं. 360 मिन/0.08, 361 मिन/0.04, 354/0.26, 353/0.10, 352/0.17, 367/0.12, 368/0.40, 348/0.63, 333/0.37, 358/0.26 कुल किता 11 कुल रकबा 2.60 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण मिश्रित/संस्थानिक से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री देवी सहाय)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महल तहसील सांगानेर के खसरा नं. 360 मिन/0.08, 361 मिन/0.04, 354/0.26, 353/0.10, 352/0.17, 367/0.12, 368/0.40, 348/0.63, 333/0.37, 358/0.26 कुल किता 11 कुल रकबा 2.60 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण मिश्रित/संस्थानिक से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
16	133.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम गुणावता तहसील आमेर के खसरा नं 43, 53 व 54 कुल किता 3 कुल रकबा 1.32 हैक्टर अर्थात् 13200 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपरइम्पोज करने पर प्राप्त 12986 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ईकोलॉजिकल से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (श्रीमति सुनीता शर्मा, पुष्पलता शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम गुणावता तहसील आमेर के खसरा नं 43, 53 व 54 कुल किता 3 कुल रकबा 1.32 हैक्टर अर्थात् 13200 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपरइम्पोज करने पर प्राप्त 12986 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ईकोलॉजिकल से वाणिज्यिक (होटल) माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के अध्यक्षीन एवं मात्र होटल हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया, अन्य वाणिज्यिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
17	133.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1262/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर अर्थात् वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण पार्क एण्ड ओपन स्पेस से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (श्री विजय शंकर तिवारी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1262/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर अर्थात् वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण पार्क एण्ड ओपन स्पेस से संस्थानिक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के अध्यक्षीन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
18	133.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1577/3 किता 1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (राजधानी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1577/3 किता 1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। साथ ही आवेदक से किस श्रेणी का शिक्षा संस्थान स्थापित किया जावेगा को भी स्पष्ट करा लिया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
19	133.19	जोन-8 में दो लेयर WBM कार्य की दर सविदा का कार्य।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता-8 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	जोनल अभियन्ता-8
20	133.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सिस्वावास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 85, 90, 96, 97, 99, 101, से 105, 111, 114, 115, 118, 119, 126 कुल किता 16 कुल रकबा 5.53 हैक्टेयर अर्थात् 55300 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (बगडिया एजुकेशन ट्रस्ट)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सिस्वावास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 85, 90, 96, 97, 99, 101, से 105, 111, 114, 115, 118, 119, 126 कुल किता 16 कुल रकबा 5.53 हैक्टेयर अर्थात् 55300 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 1639.96 वर्गमीटर भूमि निशुल्क छोड़ते हुये शेष 53662.04 वर्गमीटर भूमि भू-उपयोग उपांतरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। साथ ही आवेदक से किस श्रेणी का शिक्षा संस्थान स्थापित किया जावेगा को भी स्पष्ट करा लिया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9
21	133.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम खटवाडा के खसरा नं. 118/1, 187, 189, 188, 190, 193, 194, 195, 198 कुल किता 9 कुल रकबा 3.12 हैक्टेयर अर्थात् 31200 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (श्री रूपेन्द्र पेरीवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम खटवाडा के खसरा नं. 118/1, 187, 189, 188, 190, 193, 194, 195, 198 कुल किता 9 कुल रकबा 3.12 हैक्टेयर अर्थात् 31200 वर्ग मीटर भूमि में से 80' चौड़ी प्रस्तावित सड़क में निहित होने वाली 288.00 वर्गमीटर भूमि निशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 30912 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
22	133.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम खटवाडा के खसरा नं. 115/1173, 118/2, 115/1172, 116, 117/2, 218/1131 कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर अर्थात् 48400 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमति जूही भण्डारी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम खटवाडा के खसरा नं. 115/1173, 118/2, 115/1172, 116, 117/2, 218/1131 कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर अर्थात् 48400 वर्ग मीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 2052 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 46348 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
23	133.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1077, 1078, 1079, 1083 से 1085, 1087 से 1091 1093, 1094, 1095, 1103, 1104, 1106, 1106/1242, 817, 820 कुल किता 20 कुल रकबा 5.89 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) किये जाने के संबंध में। (विजेता बिल्डकॉन प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1077, 1078, 1079, 1083 से 1085, 1087 से 1091 1093, 1094, 1095, 1103, 1104, 1106, 1106/1242, 817, 820 कुल किता 20 कुल रकबा 5.89 हैक्टेयर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 2884 वर्ग मीटर भूमि व एच टी लाईन की निर्धारित सुरत दूरी में आने वाली 1479925 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11

प.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/समाधान	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
24	133.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1081 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से होटल किये जाने के संबंध में। (श्रीमति अरुणा कर्नावट, सुमन गोयल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1081 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से होटल किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड पर होटल के अलावा अन्य वाणिज्यिक नहीं किया जायेगा। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
25	133.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 776, 783, 784, 787, 789, 774, 989 से 992, 775, 786, 788, 802, 803, 815, 800, 797, 798, 799, 811, 821, 815/1714, 816/1715, 166, 371, 388, 801/1689 कुल किता 28 कुल रकबा 13.59 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मैसर्स लैण्डमार्क एक्सिस प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 776, 783, 784, 787, 789, 774, 989 से 992, 775, 786, 788, 802, 803, 815, 800, 797, 798, 799, 811, 821, 815/1714, 816/1715, 166, 371, 388, 801/1689 कुल किता 28 कुल रकबा 13.59 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
26	133.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 483 से 492, 498, 538, से 541, 545, 546, 547, 761, 545/1801, 548/1 कुल किता 21 कुल रकबा 11.82 हैक्टेयर अर्थात् 118200 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मैसर्स लैण्डमार्क एक्सिस प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 483 से 492, 498, 538, से 541, 545, 546, 547, 761, 545/1801, 548/1 कुल किता 21 कुल रकबा 11.82 हैक्टेयर अर्थात् 118200 वर्गमीटर भूमि में से खसरा नं. 492 कि कुल 0.54 है। भूमि में से 0.31 है। तथा खसरा नं. 498 की 0.30 है। भूमि में से 0.04 है। भूमि सेज की 400 फीट रोड की अवाप्ति में है जिसे छोड़कर शेष 11.47 है। भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
27	133.27	1 सितम्बर 2008 से कार्यालय समय प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे (भोजन अवकाश-अपराह्न 1.30 बजे से 2.00 बजे तक) तथा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को राजपत्रित अवकाश की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 1 सितम्बर 2008 से कार्यालय समय प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे (भोजन अवकाश अपराह्न 1.30 बजे से 2.00 बजे तक) तथा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को राजपत्रित अवकाश की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
28	133.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कूकस तहसील आमेर के खसरा 183, 184, व 187 तथा ग्राम खुराड तहसील आमेर के खसरा नं. 741/1, 475/1 दोनों ग्रामों की कुल किता 5 रकबा 0.84 हैक्टेयर अर्थात् 8400 वर्गमीटर पर खसरा सुपर इम्पोज करने पर प्राप्त 8375 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण रिक्रियेशनल से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (अभि प्रोपर्टीज प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्तगित करने का निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों का उपायुक्त द्वारा निस्तारण करने के बाद बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12
29	133.29	राज्य सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
30	133.30	Approvel of Tender for the work "Providing & Laying Mastic Asphalt work in JDA region, Jaipur (Rate Contact for one year).	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जौनल अभियन्ता(टी.ए.सेल) के प्रस्तावानुसार M/s Buildtech की प्राप्त निविदा की दर @71% above Schedule 'G' amounting to Rs. 24170850.00 without any condition. को अनुमोदन किया गया।	Zonal Eng. (TA Cell)
31	133.31	आनंद लोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-121 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आनंद लोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-121 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12
32	133.32	शिव शक्ति नगर विस्तार योजना के भूखण्ड सं एस-3 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से शिव शक्ति नगर विस्तार योजना के भूखण्ड सं. एस-3 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राशि दो वर्ष से अधिक की देरी से जमा होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार को बिजवाया जावे।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
33	133.33	सालिगरामपुरा योजना के भूखण्ड सं. ए-179 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सालिगरामपुरा योजना के भूखण्ड सं. ए-179 का नियमानुसार व्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
34	133.34	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 510, 511, 633, 634, 643, 644, 645, 648, 649/2074 कुल किता 9 रकबा 5.65 है 0 अर्थात् 56500 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सिद्धि सिद्धि डवलपर्स)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 510, 511, 633, 634, 643, 644, 645, 648, 649/2074 कुल किता 9 रकबा 5.65 है 0 अर्थात् 56500 वर्गमीटर भूमि में से प्रस्तावित 60" फीट सेक्टर सड़क में आने वाली 6703.21 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 49796.79 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
35	133.35	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मानपुर भाटावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 428 रकबा 0.29 है 0 अर्थात् 2900 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (कैलाश चन्द शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मानपुर भाटावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 428 रकबा 0.29 है 0 अर्थात् 2900 वर्गमीटर भूमि में से सड़क में आने वाली 528 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 2372 वर्ग मीटर का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
36	133.36	Approval of Tenders for the work of Construction of Flyover at Transport Nagar Chourah (Crossing), Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता (टी.आर.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कार्य निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया जावे कि न्यूनतम निविदादाता न्यूनतम ही रहे।	Zonal Eng. (TR)	
37	133.37	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मोदूकाबास तहसील आमेर के खसरा नं. 669/840, 670, 671, 672/841, 675, 649 से 654 कुल किता 11 रकबा 18.81 है 0 अर्थात् 74 बीघा 7 बिसवा भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 214665 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (अम्बरीश कुमार व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम मोदूकाबास तहसील आमेर के खसरा नं. 669/840, 670, 671, 672/841, 675, 649 से 654 कुल किता 11 रकबा 18.81 है 0 अर्थात् 74 बीघा 7 बिसवा भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 214665 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
38	133.38	आवेदक की आवेदित भूमि जविप्रा द्वारा अनुमोदित ज्योति जगजीवन गु.नि.स.स. की योजना कल्याण कालोनी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 90 से 100 क्षेत्रफल 4133.33 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (बरडिया प्रोपर्टीज प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित ज्योति जगजीवन गु.नि.स.स. की योजना कल्याण कालोनी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 90 से 100 क्षेत्रफल 4133.33 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड अधिसूचित व्यावसायिक हेतु 19 रोडों में से है। अगर भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण हो तो उसे ध्वस्त करने के पश्चात् ही धारा 25(1) की कार्यवाही की जावे। प्रकरण 1500 व. ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-1	
39	133.39	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 484, 485, 483/621, 58 कुल किता 4 रकबा 1.92 है 0 एवं ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 167, 168, 169, 170, 350, 359, 360, 363 से 370 किता 15 रकबा 3.45 है 0 दोनों ग्रामों की कुल किता 19 रकबा 5.37 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. लैण्डमार्क एक्सिम प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 484, 485, 483/621, 58 कुल किता 4 रकबा 1.92 है 0 एवं ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 167, 168, 169, 170, 350, 359, 360, 363 से 370 किता 15 रकबा 3.45 है 0 दोनों ग्रामों की कुल किता 19 रकबा 5.37 है 0 अर्थात् 53700 वर्ग मीटर भूमि में से सड़क में निहित होने वाली 2595.50 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लाटेशन कोरीडोर की 2334 वर्ग मीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 48770.50 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
40	133.40	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम किशोरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 86, 87, 91, 250, 251, 252, 254, 255, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276/488, 258, 259, 246/486, 247, 253, 256, 257, 263, 269, 275, 276, 92, 248, 249 किता 35 रकबा 10.26 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (प्रेमचन्द पुत्र रामनारायण व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम किशोरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 86, 87, 91, 250, 251, 252, 254, 255, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276/488, 258, 259, 246/486, 247, 253, 256, 257, 263, 269, 275, 276, 92, 248, 249 किता 35 रकबा 10.26 है0 में से सड़क में निहित होने वाली 2913 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने एवं एच.टी. लाईन की सुरक्षित दूरी का भू-भाग 9672 वर्ग मीटर छोड़ने के पश्चात् शेष 90015 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
41	133.41	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नांगल सुसावतान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 28 से 32 ख.नं. 130 से 135 किता 11 रकबा 1.84 है0 ख.नं. 33, 34 किता 2 रकबा 0.46 है0 कुल भूमि 23000 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से होटल प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (भगवती देवी व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नांगल सुसावतान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 28 से 32 ख.नं. 130 से 135 किता 11 रकबा 1.84 है0 ख.नं. 33, 34 किता 2 रकबा 0.46 है0 भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित होने वाली 510.72 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर तथा एच.टी. लाईन की सुरक्षित दूरी में आने वाली 2870.75 वर्ग मीटर भूमि छोड़ने व प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित 1701.49 वर्ग मीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 17917.04 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से वाणिज्यिक (होटल) माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के अध्यक्षीन एवं मात्र होटल हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया, अन्य वाणिज्यिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-10	
42	133.42	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 15, 123, 124, 126, 127, 137 से 146, 155, 156, 159, 160, 168, 170 कुल किता 21 रकबा 14.89 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 15, 123, 124, 126, 127, 137 से 146, 155, 156, 159, 160, 166, 170 कुल किता 21 रकबा 14.89 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
43	133.43	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कपाडियावासकला तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 13/1/2/1, 13/1, 13, 13/559, 13/580 कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कपाडियावासकला तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 13/1/2/1, 13/1, 13, 13/559, 13/580 कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
44	133.44	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 511, 512, 515 कुल किता 3 रकबा 0.46 है। अर्थात् 5501.71 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (रेखा गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 511, 512, 515 कुल किता 3 रकबा 0.46 है। अर्थात् 5501.71 वर्गगज भूमि में से प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क जो कि अन्य योजना श्रीराम निकुंज "ए" में अनुमोदित है उसमें आवेदन की 325.01 वर्ग गज भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 5176.70 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
45	133.45	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 1812 व 1814 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा का हिस्सा 166/208 अर्थात् 8 बीघा भूमि में से 22210 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण संस्थानिक से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. कनक वृन्दावन टाउनशिप प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 1812 व 1814 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा का हिस्सा 166/208 अर्थात् 8 बीघा भूमि में से 22210 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण संस्थानिक से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	

क्र.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
46	133.46	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा स्वामित्व की ग्राम हरचन्दपुरा देवलिया तहसील सांगानेर की 79.88 है० तथा निजी खातेदारी की 22.44 है० भूमि ग्राम पालडी परसा तहसील सांगानेर की जविप्रा के स्वामित्व की 20.08 है० तथा निजी खातेदारी के 0.09 है० कुल दोनों ग्रामों की 122.49 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा स्वामित्व की ग्राम हरचन्दपुरा देवलिया तहसील सांगानेर की 79.88 है० तथा निजी खातेदारी की 22.44 है० भूमि ग्राम पालडी परसा तहसील सांगानेर की जविप्रा के स्वामित्व की 20.08 है० तथा निजी खातेदारी के 0.09 है० कुल दोनों ग्रामों की 122.49 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
47	133.47	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 507, 508 किता 2 रकबा 1.45 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जमना राम एवं मूलचन्द)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 507, 508 किता 2 रकबा 1.45 है० भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 3454.00 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने एवं व्यावसायिक भू-पट्टी से प्रभावित 5613.00 वर्ग मीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् 5433.00 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। मौके पर निर्माण के संबंध में अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त करने के पश्चात् प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
48	133.48	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा स्वामित्व की ग्राम टोडीरमजानीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 79, 89 कुल किता 2 रकबा 2.96 है० अर्थात् 29613 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग बस टर्मिनल से क्लब हाउस हेतु सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (संस्थानिक), आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा स्वामित्व की ग्राम टोडीरमजानीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 79, 89 कुल किता 2 रकबा 2.96 है० अर्थात् 29613 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग बस टर्मिनल से क्लब हाउस हेतु सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (संस्थानिक), आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता से भी राय प्राप्त की जावे। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-10	
49	133.49	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 34, 59 कुल किता 2 रकबा 1.47 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 34, 59 कुल किता 2 रकबा 1.47 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
50	133.50	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 158, 161, 162, 163, 164, 183, 184, 185, 153, 154 कुल किता 10 रकबा 12.57 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 158, 161, 162, 163, 164, 183, 184, 185, 153, 154 कुल किता 10 रकबा 12.57 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
51	133.51	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कपाडियावासकला तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 13/1/1, 13/573, 13/565/1, 13/568/1, 13/570 कुल किता 5 रकबा 42 बीघा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कपाडियावासकला तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 13/1/1, 13/573, 13/565/1, 13/568/1, 13/570 कुल किता 5 रकबा 42 बीघा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
52	133.52	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 3, 147, 151, 215, 16, 55, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 233, 235, 8, 9, 71, 67, 88, 69, 70, 72, 77, 65, 78 किता 26 रकबा 32.32 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नासनोता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 3, 147, 151, 215, 16, 55, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 233, 235, 8, 9, 71, 67, 88, 69, 70, 72, 77, 65, 78 किता 26 रकबा 32.32 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
53	133.53	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महला तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38 किता 8 कुल रकबा 13.16 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मनफूली देवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महला तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38 किता 8 कुल रकबा 13.16 है 0 भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 20564.33 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर तथा प्लानेशन कोरीडोर से प्रभावित 19831.24 वर्ग मीटर भूमि छोड़न के पश्चात् शेष 91204.43 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11
54	133.54	टोक रोड पर ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू में नवीन आवासीय योजना के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव के क्रम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू में नवीन आवासीय योजना के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-11
55	133.55	भारत संचार निगम लि. के फिक्स टेलिफोन पर VPN-199 रुपये प्रतिमाह प्लान की सुविधा बांबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भारत संचार निगम लि. के फिक्स तथा मोबाईल पर एक दूसरे से आपस में वार्ता करने के VPN-199 रुपये प्रतिमाह (12.50 प्रति टैक्स अति.) के प्लान की सुविधा प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों को निर्धारित प्रतिमाह कॉल राशि के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
56	133.56	जविप्रा द्वारा अनुमोदित दी कृष्णा हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी की योजना स्कीम नं. के-5 के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 7, 8, 40, 41 क्षेत्रफल 2322.56 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (गोरधन दास)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित दी कृष्णा हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी की योजना स्कीम नं. के-5 के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 7, 8, 40, 41 क्षेत्रफल 2322.56 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। अगर भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण हो तो उसे ध्वस्त करने के पश्चात् ही धारा 25(1) की कार्यवाही की जावे। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7
57	133.57	जविप्रा की आवासीय योजना हेतु ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव के क्रम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा की आवासीय योजना हेतु ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-9
58	133.58	जविप्रा क्षेत्र के ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर में जविप्रा की आई.टी.पार्क एवं संस्थानिक अख्य हेतु प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव के क्रम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर में जविप्रा की आई.टी. पार्क एवं संस्थानिक अख्य हेतु प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-9
59	133.59	जविप्रा के सेक्टर 36 एवं 37 में स्थित 80 फीट एवं उससे अधिक चौड़ाई की सेक्टर सड़को के अन्तर्गत आ रही भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव के क्रम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा के सेक्टर 36 एवं 37 में स्थित 80 फीट एवं उससे अधिक चौड़ाई की सेक्टर सड़को के अन्तर्गत आ रही भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-9


 सदस्य सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 133वीं बैठक दिनांक 23.09.08 को दोपहर 02.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री अशोक जैन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री अशोक जैन	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री श्रीराम मीणा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री सुनिल शर्मा	शासन उपसचिव प्रथम	नगरीय विकास विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
4	श्री एस.सी. महागांवकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री भगवान सिंह	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक (अभियान्त्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
9	श्री एम.एल. मीणा	ए.सी.ई.	पीडब्ल्यूडी	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री के.के. शर्मा	अति. जिला कलेक्टर (सिटी)	कलेक्टर	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री अशोक शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक मुख्यालय	सदस्य के प्रतिनिधि
12	श्री सत्यपाल	उप महाप्रबन्धक (प्रशासन)	आर.टी.डी.सी.	सदस्य के प्रतिनिधि
13	श्री मुकेश मित्तल	उप नगर नियोजन	रिकॉ	सदस्य के प्रतिनिधि
14	श्री डी.पी. बसल	टीए.टू.एस.ई.	पी.एच.ई.डी.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
15	श्री एच.एस. भारद्वाज	अति.आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री नरेश कुमार शर्मा	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री विमल कुमार जैन	अति.आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति.आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री एन.सी. माथुर	अति. मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	डा. बी.डी. कुमावत	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री देवराम सैनी	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री सुखवीर सैनी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्री प्रभात गोस्वामी	ओ.एस.डी. (पी.आर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुरा, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2008/ 7201
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 24/9/08

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर